Uploading 17/03/2026

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्र.- एफ-6-2/0002/2026-GAD-03-01 दिनांक-16/03/2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभाग आयुक्त,
समस्त जिलाअध्यक्ष,
मध्य प्रदेश।

विषयः- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के नियम 14(7) एवं नियम-30 में संशोधन बाबत्।

संदर्भः- मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 62, दिनांक 09 मार्च 2026 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना।

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं–

1. नियम 14 के उपनियम (7) में प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत जांच प्राधिकारी शासकीय सेवक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।
2. नियम 30 को प्रतिस्थापित करते हुए आदेश, सूचना (नोटिस) एवं अन्य आदेशों की तामील के लिए निम्न माध्यम निर्धारित किए गए हैं–
   (क) संबंधित शासकीय सेवक को व्यक्तिशः;
   (ख) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा;
   (ग) शासकीय सेवक की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजे गए ई-मेल द्वारा;
3. 30 'क'- विभागीय जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी प्रक्रियांए विभागीय पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाएगी।

अतः अनुरोध है कि उक्त संशोधनों का संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त संशोधन की प्रति वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

संलग्न : अधिसूचना की प्रति।

(अजय कटेसरिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 62] भोपाल, सोमवार, दिनांक 9 मार्च 2026—फाल्गुन 18, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2026

क्र. एफ 6–2–0002–2026–जीएडी–3–एक– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

(1) नियम 14 में, उपनियम (7) में, अंत में, पूर्ण विराम "।", के स्थान पर, कॉलन ":" स्थापित किया जाए और इसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए अर्थात् :–

"परन्तु जांच प्राधिकारी शासकीय सेवक को वीडियो–कान्फ्रेंस के माध्यम से उपसंजात होने की अनुमति दे सकेगा.".

(2) नियम 30 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"**30. आदेश सूचना आदि की तामील.**– इन नियमों के अधीन किया गया या जारी किया गया प्रत्येक आदेश, सूचना (नोटिस) तथा अन्य आदेशिका की तामील निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से की जाएगी,–

(क) संबंधित शासकीय सेवक को व्यक्तिश;

(ख) पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा;

(ग) शासकीय सेवक के आधिकारिक मेल आईडी पर भेजे गए ई–मेल द्वारा."

(3) नियम 30 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

"30क. **विभागीय जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया की विधिमान्यता.**–किसी विशेष विभाग या वर्ग के शासकीय कर्मचारियों के संबंध में विभागीय जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित सभी प्रक्रियाएं विभागीय पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित की जाएगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2026

क्र. एफ 6–2–0002–2026–जीएडी–3–एक–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 9 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th March 2026

F No. 6-2-0002-2026-GAD-3-I.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, -

1- In Rule 14, in sub-rule (7), at the end, for the full stop ".", the colon ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the Inquiring Authority may permit the Government servant to appear through video-conference.".

2. For rule 30, the following rule shall be substituted, namely:-

"30. Service of Order, Notice etc.- Every Order, Notice and other process made or issued under these rules shall be served through any of the following means,-

(a) in person to the concerned Government servant;

(b) by registered post or speed post;

(c) by email sent to the official mail ID of the Government servant.".

3- After rule 30, the following rule shall be inserted, namely:-

"30A. **Validity of electronic process for departmental inquiry or disciplinary proceedings.**- All of the procedures relating to departmental inquiry or disciplinary proceedings in respect of Government employees of a particular department or class, shall be conducted electronically, through departmental portal."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY KATESARIA, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.